गेल (इंडिया) लिमिटेड
(निगमित मानव संसाधन विभाग)
नई दिल्ली

परिपत्र

सं. सी ओ/एच आर/पॉल/पी-102 दिनांक : १ मई, 2008

विषय : सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के पूर्णत: आश्रित परिवारजन के लिए चिकित्सा –सुविधा

1. कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने तथा उसे और मजबूत बनाने के लिए गेल-प्रबंधन ऐसे कर्मचारियों के पूर्णत: आश्रित पति/पत्नी, माता-पिता और बच्चों को चिकित्सा-सुविधा सहर्ष प्रदान करेगा जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है।

2. मृत्यु की तारीख को मूल कर्मचारी जिस ग्रेड में थे, उनके आश्रित परिवार-जनों को दी जाने वाली चिकित्सा-सुविधा उस ग्रेड की हकदारी तक सीमित होगी। यह सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पी आर एम एस) के संदर्भ में है।

3. मृत कर्मचारियों के आश्रित परिवारजनों को दी जाने वाली चिकित्सा-सुविधा निम्नलिखित नियम और शर्तों के अनुसार नियमित की जाएगी :

3.1 पी आर एम एस के संदर्भ में पात्रता की शर्त, अर्थात गेल में 10 वर्ष की सेवा (कार्यात्मक निदेशक/सी एम डी के मामले में 5 वर्ष) ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी।

3.2 पी आर एम एस के अंतर्गत अंतरंग और बाह्यो उपचार के लिए कर्मचारी की मृत्यु से पहले उसके ग्रेड के आधार पर निर्दिष्ट हकदारी तक चिकित्सा-सुविधा प्रदान की जाएगी।

3.3 कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद आश्रित परिवारजनों को पी आर एम एस के अंतर्गत कर्मचारी के अंतिम ग्रेड के अनुरूप निर्दिष्ट हकदारी तक चिकित्सा-लाभ ग्राह्य होंगे। परन्तु ऐसी दुर्घटना, जो कर्मचारी की मृत्यु का कारण बनी, की वजह से परिवार के आश्रित सदस्यों को होने वाली बीमारी/चोट के चिकित्सा बिल कंपनी डॉक्टर के परामर्श पर चिकित्सा परिचर्या नियमों के अनुसार मृत कर्मचारी की हकदारी के अनुसार तब तक ग्राह्य होंगे जब तक उनकी बीमारी/ चोट ठीक नहीं हो जाती।

3.4 मृत कर्मचारी की पत्नी/पति को जीवन पर्यन्त चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी। यदि वह किसी अन्य संगठन में कार्यरत है और अपने रोजगार के दौरान तथा /अथवा सेवानिवृत्ति पश्चात वहीं से चिकित्सा-सुविधा का लाभ लेती/लेता है तो पी आर एम एस के अनुसार उसे तब तक चिकित्सा-सुविधा ग्राह्य नहीं होगी जब तक वह अपने नियोक्ता से यह सुविधा पा रही/रहा है। इसी प्रकार, यदि उसका पुनर्विवाह हो जाता है तो पी आर एम एस के अनुसार पुन: विवाह की तारीख से चिकित्सा-सुविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

3.5 अपनी मृत्यु से पहले कर्मचारी द्वारा घोषित पूर्णत: माता-पिता तथा सन्तान पी आर एम एस के अनुसार चिकित्सा सुविधा पाने के हकदार होंगे बशर्ते वे गेल चिकित्सा परिचर्या नियमों के संदर्भ में आश्रित होने के मानदंडों को पूरा करते हों।

3.6 किसी मृत कर्मचारी की पत्नी/पति के पुनर्विवाह की स्थिति में कर्मचारी के पूर्णत: आश्रित माता-पिता को पी आर एम एस के अनुसार चिकित्सा-सुविधा प्राप्त होती रहेगी। यदि कर्मचारी के आश्रित बच्चे उसकी पत्नी/पति का पुनर्विवाह होने पर उसके साथ रहना चाहते हों तो वे पी आर

क्र.मा.

एम एस के अनुरूप चिकित्सा लाभ हेतु दावा करने के हकदार नहीं होंगे। परन्तु यदि ऐसे कर्मचारी के आश्रित बच्चे कर्मचारी की पत्नी/पति के पुनर्विवाह के बाद कर्मचारी के माता-पिता के साथ रहना चाहें तो मृत कर्मचारी के माता-पिता के साथ-साथ वे भी पी आर एम एस के अनुसार चिकित्सा लाभ लेने के हकदार होंगे, बशर्ते वे गेल चिकित्सा परिचर्या नियमों के अनुसार आश्रित होने संबंधी मानदंडों को पूरा करते हों।

3.7 पी आर एम एस में निर्दिष्ट किए अनुसार एक बार एक मुश्त अंशदान को मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को देय बकाया राशि में समायोजित किया जाएगा।

3.8 यदि मृत कर्मचारी की पत्नी/पति अथवा माता-पिता में से कोई एक ही चिकित्सा सुविधा लेता है तो (पत्नी/पति द्वारा न लिए जाने की स्थिति में) पी आर एम एस के अनुसार निर्दिष्ट अंशदान/प्रतिपूर्ति की सीमा को घटा कर 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा। परन्तु, परिवार के एक से अधिक आश्रित सदस्यों द्वारा चिकित्सा-सुविधाओं का लाभ लेने पर पी आर एम एस में निर्दिष्ट पूरा अंशदान/प्रतिपूर्ति लागू होगी।

4. मृत कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्यों को होने वाली कठिनाई को समाप्त करने के विचार से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ निदेशक (मानव संसाधन) अपने विवेक से कारण का उल्लेख करते हुए इनमें से किसी नियम में ढील दे सकते हैं।

5. योजना के किसी या सभी भागों को बिना किसी सूचना के या बिना कारण बताए संशोधित करने, परिशोधित करने, परिवर्तन करने, वृद्धि करने या उसमें से कुछ हटाने के लिए कंपनी का अधिकार सुरक्षित है।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है और यह उन कर्मचारियों के संबंध में लागू है, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु होगी। इस परिपत्र के जारी होने की तारीख को जिन मृत कर्मचारियों के परिवार जनों के दावे लंबित हैं उन्हें भी उपर्युक्त के अनुसार प्रगामी प्रभाव से शामिल किया जाएगा।

जे. वासन 9/5

(जे. वासन)
कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)

<u>**वितरण**</u> :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (मानव संसाधन)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (परि.)/निदेशक(व्यापार विकास)/निदेशक (विपणन)/मुख्य सतर्कता अधिकारी
2. कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)
3. विभागाध्यक्ष-निगमित कार्यालय/ प्रभारी अधिकारी- कार्यकेन्द्र/जोनल कार्यालय
4. महाप्रबंधक (बी आई एस), नोएडा-एस ए पी – पे रोल माड्यूल में अपेक्षित परिवर्तन कराने के अनुरोध के साथ
5. मानव संसाधन तथा वित्त एवं लेखा प्रभारी कार्यकेन्द्र/जोनल कार्यालय
6. सभी कार्मिक (ई-मेल द्वारा)
7. नोटिस बोर्ड

GAIL (INDIA) LIMITED
CORPORATE HR DEPARTMENT

CIRCULAR

No.CO/HR/Pol/P-102

9th May 2008

Subject : Medical facility to wholly dependent family members of employees who die while in service

1. As a step forward to further widen and strengthen Social Security cover for employees and their families, GAIL Management is pleased to extend medical facility to wholly dependent spouse, parents and children of employees who die while in service.

2. Extent of medical facility to dependent family members of deceased employees will be limited to their entitlement depending on the grade held on the date of demise in terms of Post Retirement Medical Scheme (PRMS).

3. Medical facility to dependent family members of deceased employees will be regulated as per the following terms and conditions:

   3.1 Eligibility condition in terms of PRMS i.e. 10 years service in GAIL (5 years in case of Functional Directors/ CMD) will not be applicable in such cases.

   3.2 Medical facility will be extended upto prescribed entitlement for Indoor and Outdoor treatment under PRMS depending on the grade of the employee prior to death.

   3.3 Medical benefits would be admissible to dependent family members immediately after death of the employee as per entitlement prescribed in terms of PRMS corresponding to last grade of the employee. However, medical bills in respect of dependent family members on account of sickness/injuries arising out of an accident, leading to death of the employee, would also be admissible as per the entitlement of deceased employee in terms of Medical Attendance rules on the advice of Company Doctor till they recover from such sickness/ injuries.

   3.4 Spouse of deceased employee may continue to get the medical facilities till his/ her survival. In case, she/he is employed in another organisation and opts to avail medical facilities from there during employment and/or after retirement, medical facilities in terms of PRMS will not be admissible for the period of availment of the same from her/his employer. Similarly, in case she/he gets remarried, medical facilities in terms of PRMS would be discontinued w.e.f. date of remarriage.

   3.5 Wholly dependent parents and children of deceased employee, as declared by him/her prior to death, would also be entitled to medical facilities in terms of PRMS subject to fulfillment of dependency criteria in terms of GAIL Medical Attendance Rules.

   3.6 In the event of remarriage of spouse of a deceased employee, wholly dependent parents of the employee would continue to be entitled to medical facilities in terms of PRMS. In case dependent children of the employee opt to stay with the spouse on remarriage, they will not be entitled to claim medical benefits in terms of PRMS. However, if dependent children of the employee opt to stay with parents of the

employee after remarriage of the spouse, they will be entitled to claim medical benefits in terms of PRMS along with parents of the deceased employee, subject to fulfillment of dependency criteria in terms of GAIL Medical Attendance Rules.

3.7 One-time lump-sum contribution, as prescribed in the PRMS, will be adjusted against outstanding amount payable to family members of the deceased employee.

3.8 In the event of availment of medical facilities by only spouse or one parent of the deceased employee (in case of no spouse) extent of contribution/ reimbursement prescribed in terms of PRMS will be reduced to 50%. However, in the event of availment of medical facilities by more than one dependent family member, full contribution/ reimbursement prescribed in terms of PRMS will be applicable.

4. CMD/ Director (HR) may relax any of these rules to mitigate hardship caused to dependent family members of the deceased employee at his discretion to be recorded by him.

6. Company reserves the right to amend, modify, alter, add or delete any or all part of the scheme at any time without any notice or assigning any reason therefor.

7. This issues with the approval of Competent Authority and comes into force in respect of employees who would die while in service in future. Pending requests of family members of deceased employees on the date of issuance of this Circular, if any, will also be covered in terms of the above with prospective effect.

(J. Wason)
Executive Director (HR)

<u>Distribution</u>

1. CMD/ Dir.(HR)/ Dir.(Fin.)/ Dir.(Projs.)/ Dir.(BD)/ Dir.(Mktg.)/ CVO
2. Executive Director (F&A)
3. HODs at Corporate Office/ OICs of Work Centres/ Zonal Offices
4. GM (BIS), NOIDA – with a request to effect requisite changes in SAP-Payroll module
5. HR and F&A Incharges of Work Centres/ Zonal Offices
6. All employees *(through e-mail)*
7. Notice Boards